संख्या–18/1/2008–का–2/2008

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 02 मई, 2008

विषयः– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2008 के संबंध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2008 की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव।

संख्या–18/1/2008–का–2/2008 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश।
2–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सचिव।

क्रम-संख्या–98

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0 डब्लू/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 05 मार्च, 2008

फाल्गुन 15 , 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 449/79-वि-1–08-1(क)-7-2008

लखनऊ, 05 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 04 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 3 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(5) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा, उसके पश्चात वह रिक्ति व्यपगत समझी जायेगी।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) में प्रावधान है कि राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए आरक्षित होगा :–

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(ख) श्रवण ह्रास ; और

(ग) संचालक अंगों की निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

2–निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबन्धों के सम्बन्ध में जारी भारत सरकार के अनुदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि यदि उक्त भर्ती के वर्ष के दौरान ऐसी आरक्षित रिक्तियों को भरा जाना संभव नहीं है तो रिक्तियों को आगामी दो वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाएगा, उसके पश्चात उन्हें व्यपगत समझा जाएगा।

3–उपरोक्तानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने से सम्बन्धित उपर्युक्त अधिनियमों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त उत्तर प्रदेश अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे आगामी दो चयन वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा और उसके पश्चात वह रिक्ति व्यपगत समझी जाएगी।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव

No. 449(2)/LXXIX-V-1–1 (ka) 7-2008

Dated Lucknow, March 05, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop Se Viklang, Swtantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhutpurva Sainikon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 04, 2008.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 8 OF 2008)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Act, 2008.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1993

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993, *for* sub-section (5) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(5) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled it shall be carried forward for further two selection years, whereafter it may be treated to be lapsed."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (ii) of sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993 provides that in such public services and posts in connection with the affairs of the State, as the State Government may, by notification, identify, one per cent of vacancies each for person suffering from :–

(a) blindness or low vision;

(b) hearing impairment; and

(c) Locomotors disability or cerebral palsy

shall be reserved at the stage of direct recruitment.

2. In the instructions of the Government of India issued in connection with the provisions of The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 it is mentioned that if it is not possible to fill up such reserved vacancies during the said recruitment year, vacancies would be carried forward for further two years, whereafter it may be treated to be lapsed.

3. In order to maintain uniformity in the aforesaid Acts with regard to the filling of vacancies reserved for freedom fighters, ex-servicemen and the disable persons as aforesaid it has been decided to amend the said U.P. Act to provide that where due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled it shall be carried forward for further two selection years, whereafter it may be treated to be lapsed.

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,

S.M.A. ABIDI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा0 नियुक्ति–(193)–2008–2000 प्रतियां (कम्प्यू0टी0 / आफसेट)।